

भारत सरकार और मकाऊ सरकार के बीच हवाई सेवा समझौता

अनुच्छेद 1

परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) भारत के संबंध में "क्षेत्र" पद का वही अर्थ है जो 7 दिसंबर 1944 को हस्ताक्षर के लिए खोले गए नागर विमानन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभिसमय" कहा गया है) के अनुच्छेद 2 में "राज्यक्षेत्र" को दिया गया है, और मकाऊ के संबंध में इसमें मकाऊ प्रायद्वीप तथा ताइपा और कोलोआन द्वीप सम्मिलित हैं;
- (ख) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद से तात्पर्य है, भारत की स्थिति में, नागर विमानन महानिदेशक, और मकाऊ की स्थिति में, नागर विमानन प्राधिकरण, अथवा दोनों स्थितियों में, कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय जो उक्त प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे किसी कृत्य को करने के लिए प्राधिकृत हो;
- (ग) "समझौता" पद से तात्पर्य है यह समझौता, इसका अनुबंध और इसमें किए गए कोई भी संशोधन;
- (घ) "सहमत सेवाएँ" पद से तात्पर्य है इस समझौते के अंतर्गत स्थापित निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ;
- (ङ) "हवाई सेवाएँ", "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ", "एयरलाइन" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव" पदों के वही अर्थ हैं जो क्रमशः अभिसमय के अनुच्छेद 96 में उन्हें दिए गए हैं;
- (च) "नामित एयरलाइन" से तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जिसे इस समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो;
- (छ) "प्रचालन प्राधिकार" से तात्पर्य है एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन को इस समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार दिया गया प्राधिकार;

- (ज) "विनिर्दिष्ट मार्ग" से तात्पर्य है इस समझौते के अनुबंध के अंतर्गत मार्ग अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट मार्ग; और
- (झ) "प्रशुल्क" से तात्पर्य है अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर यात्रियों, सामान और माल के सार्वजनिक परिवहन के लिए लिया जाने वाला मूल्य, जिसमें ऐसे मूल्य की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाली शर्तें तथा ऐसे परिवहन की सहायक सेवाओं के लिए शुल्क और शर्तें सम्मिलित हैं, किंतु डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के उपबंध

इस समझौते के कार्यान्वयन में, संविदाकारी पक्ष अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे, जिनमें अभिसमय के अनुबंध तथा अभिसमय या उसके अनुबंधों में किए गए कोई भी संशोधन सम्मिलित हैं, जो दोनों संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं, जहाँ तक कि वे उपबंध अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू होते हों।

अनुच्छेद 3

अधिकारों का अनुदान

- (1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, इस समझौते के अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ स्थापित करने के प्रयोजन से, दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है।
- (2) इस समझौते के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन(नों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:
- (क) दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र के ऊपर से बिना उतरे उड़ान भरना;
- (ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव करना; और
- (ग) किसी विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन(नों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र

में, उस मार्ग के लिए इस समझौते के अनुबंध में विनिर्दिष्ट स्थान(नों) पर, यात्रियों, माल और डाक के अंतर्राष्ट्रीय यातायात को चढ़ाने और उतारने का अधिकार भी प्राप्त होगा।

- (3) इस समझौते के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की उन एयरलाइन(नों) को, जो इस समझौते के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत नामित नहीं हैं, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे।
- (4) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन(नों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में, उसी दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान के लिए गंतव्य यात्रियों, माल या डाक को चढ़ाने का विशेषाधिकार प्रदान करती है।

अनुच्छेद 4

एयरलाइनों का नामांकन और प्राधिकरण

- (1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में अधिकतम दो एयरलाइनों को नामित करे तथा ऐसे नामांकन को वापस ले या उसमें परिवर्तन करे।
- (2) ऐसे नामांकन की प्राप्ति पर, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) और (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बिना विलंब के नामित एयरलाइन(नों) को समुचित प्रचालन प्राधिकार प्रदान करेगा।
- (3)
 - (क) भारत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट प्रचालन प्राधिकार प्रदान करने से इनकार करे, अथवा नामित एयरलाइन द्वारा इस समझौते के अनुच्छेद 3 (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करे जो वह आवश्यक समझे, ऐसे प्रत्येक मामले में जहाँ उसे यह समाधान न हो कि वह एयरलाइन मकाऊ में निगमित है और उसका प्रधान कारोबार स्थल मकाऊ में है।

- (ख) मकाऊ सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट प्रचालन प्राधिकार प्रदान करने से इनकार करे, अथवा नामित एयरलाइन द्वारा इस समझौते के अनुच्छेद 3 (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करे जो वह आवश्यक समझे, ऐसे प्रत्येक मामले में जहाँ उसे यह समाधान न हो कि उस एयरलाइन का सारभूत स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारत सरकार या उसके नागरिकों में निहित है।
- (4) एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन(नों) से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उन्हें यह समाधान कराए कि वह उन शर्तों को पूरा करने के लिए अर्हता रखती है जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यतः लागू विधियों और विनियमों के अंतर्गत विहित की गई हैं।
- (5) जब किसी एयरलाइन को इस प्रकार नामित और प्राधिकृत कर दिया गया हो, तब वह सहमत सेवाओं का प्रचालन आरंभ कर सकती है, बशर्ते कि वह एयरलाइन(नें) इस समझौते के लागू उपबंधों का अनुपालन करती हो(ं)।

अनुच्छेद 5

प्रचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण या निलंबन

- (1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित किसी एयरलाइन को प्रदान किए गए प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत या निलंबित करे, अथवा इस समझौते के अनुच्छेद 3(2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी समुचित शर्तें अधिरोपित करे जो वह आवश्यक समझे:
- (क) (i) भारत सरकार की स्थिति में, ऐसे प्रत्येक मामले में जहाँ उसे यह समाधान न हो कि वह एयरलाइन मकाऊ में निगमित है और उसका प्रधान कारोबार स्थल मकाऊ में है;
- (ii) मकाऊ सरकार की स्थिति में, ऐसे प्रत्येक मामले में जहाँ उसे यह समाधान न हो कि उस एयरलाइन का सारभूत स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारत सरकार या उसके नागरिकों में निहित है; अथवा

- (ख) उस एयरलाइन द्वारा उन अधिकारों को प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष की विधियों या विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में; अथवा
- (ग) यदि वह एयरलाइन अन्यथा इस समझौते के अंतर्गत विहित शर्तों के अनुसार प्रचालन करने में विफल रहती है।
- (2) जब तक कि प्रचालन प्राधिकार का तत्काल प्रतिसंहरण या निलंबन अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में वर्णित शर्तों का अधिरोपण, विधियों या विनियमों अथवा इस समझौते के उपबंधों के आगे और उल्लंघनों को रोकने के लिए आवश्यक न हो, तब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श के पश्चात् ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 6

सीमा शुल्क और प्रक्रियाएँ

- (1) किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर प्रचालित विमान, तथा उनके नियमित उपकरण, ईंधन और स्नेहकों की आपूर्तियाँ और विमान भंडार, जो विमान पर पहले से मौजूद हों, ऐसे विमान में लाए गए हों या उस पर चढ़ाए गए हों और केवल ऐसे विमान में या उसके द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत हों, को सभी सीमा शुल्कों, निरीक्षण शुल्कों तथा अन्य शुल्कों या करों के संबंध में, दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में, उससे कम अनुकूल व्यवहार नहीं दिया जाएगा जो वह दूसरा संविदाकारी पक्ष अपनी स्वयं की उन एयरलाइन(नों) को देता है जो अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं का प्रचालन करती हैं।
- (2) यही व्यवहार उन फुटकर पुर्जों के संबंध में भी दिया जाएगा जो दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में प्रयुक्त विमान के रखरखाव या मरम्मत के लिए किसी भी संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में लाए जाते हैं।
- (3) कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) को सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क या ऐसे ही अन्य प्रभारों में छूट या उनकी माफी देने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा दूसरा संविदाकारी पक्ष पहले संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) को ऐसे प्रभारों में छूट या माफी न दे।

- (4) किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान पर रखे गए नियमित वायुवाहित उपकरण तथा सामग्री और आपूर्तियाँ दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में केवल उस क्षेत्र के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारी जा सकेंगी।
- (5) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) और (4) में निर्दिष्ट सामग्रियों को सीमा शुल्क की निगरानी या नियंत्रण में रखे जाने की अपेक्षा की जा सकती है।

अनुच्छेद 7

प्रत्यक्ष पारगमन यातायात

एक संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से होकर प्रत्यक्ष पारगमन में जा रहे तथा हवाई अड्डे के उस प्रयोजन हेतु आरक्षित क्षेत्र को न छोड़ने वाले यात्री, सामान और माल केवल अत्यंत सरलीकृत नियंत्रण के अधीन होंगे, इससे अधिक नहीं। प्रत्यक्ष पारगमन में सामान और माल सीमा शुल्क तथा अन्य ऐसे ही करों से मुक्त होंगे।

अनुच्छेद 8

विधियों का लागू होना

- (1) एक संविदाकारी पक्ष की वे विधियाँ और विनियम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगे विमान के उसके क्षेत्र में प्रवेश और वहाँ से प्रस्थान को, अथवा ऐसे विमान के उसके क्षेत्र के भीतर रहने के दौरान प्रचालन और नौचालन को, नियंत्रित करती हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन के विमान पर लागू होंगी और ऐसे विमान द्वारा पहले संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश या वहाँ से प्रस्थान के समय तथा उस क्षेत्र के भीतर रहने के दौरान उनका अनुपालन किया जाएगा।
- (2) एक संविदाकारी पक्ष की वे विधियाँ और विनियम जो उसके क्षेत्र में यात्रियों, चालक दल, माल या डाक के प्रवेश, ठहराव और प्रस्थान को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि प्रवेश, निकासी, आप्रवासन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा और संगरोध से संबंधित विनियम, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) द्वारा ले जाए जा रहे ऐसे यात्रियों, चालक दल, माल या डाक द्वारा अथवा उनकी ओर से, पहले संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश या वहाँ से प्रस्थान के समय तथा उस क्षेत्र के भीतर रहने के दौरान अनुपालित किए जाएँगे।

- (3) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह वचन देता है कि वह इस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित विधियों और विनियमों के लागू करने में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) की तुलना में अपनी स्वयं की एयरलाइन(नों) को कोई वरीयता नहीं देगा।

अनुच्छेद 9

वायुयोग्यता

एक संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी किए गए या मान्य किए गए वायुयोग्यता प्रमाणपत्र, सक्षमता प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्तियाँ, उनकी विधिमान्यता की अवधि के दौरान, इस समझौते में उपबंधित हवाई सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा विधिमान्य के रूप में मान्यता प्राप्त होंगी, बशर्ते कि वे अपेक्षाएँ जिनके अंतर्गत ऐसे प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्तियाँ जारी या मान्य की गई थीं, अभिसमय के अनुसरण में स्थापित किए जा सकने वाले न्यूनतम मानकों के बराबर या उनसे ऊपर हों। तथापि, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने स्वयं के क्षेत्र के ऊपर उड़ानों के प्रयोजन से, भारत की स्थिति में अपने नागरिकों को, और मकाऊ की स्थिति में अपने निवासियों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों को मान्यता देने से इनकार करे।

अनुच्छेद 10

सुरक्षा

- (1) संविदाकारी पक्ष पुनः पुष्टि करते हैं कि विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा की रक्षा करने का उनका एक-दूसरे के प्रति दायित्व इस समझौते का एक अभिन्न अंग है। संविदाकारी पक्ष, विशेष रूप से, 14 सितंबर 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों संबंधी अभिसमय, 16 दिसंबर 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमानों के विधि-विरुद्ध अधिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, तथा 23 सितंबर 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि-विरुद्ध कृत्यों के दमन संबंधी अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।
- (2) संविदाकारी पक्ष अनुरोध किए जाने पर एक-दूसरे को नागर विमानों के विधि-विरुद्ध अधिग्रहण के कृत्यों तथा ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाई अड्डों

और वायु नौचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधि-विरुद्ध कृत्यों, तथा नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे को रोकने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

- (3) पक्ष, अपने पारस्परिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित तथा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय के अनुबंधों के रूप में अभिहित विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे, जहाँ तक कि ऐसे सुरक्षा उपबंध पक्षों पर लागू होते हों; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके पंजीकरण वाले विमानों के प्रचालक अथवा ऐसे विमान प्रचालक जिनका प्रधान कारोबार स्थल या स्थायी निवास उनके क्षेत्र में है, तथा उनके क्षेत्र में हवाई अड्डों के प्रचालक, ऐसे विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।
- (4) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश, वहाँ से प्रस्थान, अथवा उस क्षेत्र के भीतर रहने के लिए उस दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित, ऊपर पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, चालक दल, हाथ के सामान, सामान, माल और विमान भंडारों का उनके चढ़ने या लादे जाने से पूर्व और उसके दौरान निरीक्षण करने के लिए उसके क्षेत्र के भीतर पर्याप्त उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाएँ। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का सामना करने के लिए युक्तियुक्त विशेष सुरक्षा उपायों हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी भी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।
- (5) जब नागर विमान के विधि-विरुद्ध अधिग्रहण या ऐसे विमान, उसके यात्रियों और चालक दल, हवाई अड्डों या वायु नौचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधि-विरुद्ध कृत्यों की कोई घटना या घटना का खतरा उत्पन्न हो, तब संविदाकारी पक्ष संचार को सुगम बनाकर तथा ऐसी घटना या उसके खतरे को शीघ्रतापूर्वक और सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए अभिप्रेत अन्य समुचित उपाय करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

- (6) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, जैसा वह व्यावहारिक समझे, ऐसे उपाय करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो कि विधि-विरुद्ध अधिग्रहण या विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप के अन्य कृत्यों का शिकार कोई विमान, जो उसके क्षेत्र में उतरा हो, भूमि पर रोक कर रखा जाए, जब तक कि मानव जीवन की रक्षा के सर्वोपरि कर्तव्य के कारण उसका प्रस्थान आवश्यक न हो। जहाँ भी व्यावहारिक हो, ऐसे उपाय पारस्परिक परामर्श के आधार पर किए जाएँगे।
- (7) इस अनुच्छेद के उपबंधों से किसी भी विचलन से अनुच्छेद 18 के अनुसार निपटा जाएगा और वह इस समझौते के अनुच्छेद 5 को लागू करने का आधार बन सकता है।

अनुच्छेद 11

समय-सारणियाँ, प्रचालन संबंधी जानकारी और आँकड़े

- (1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित एयरलाइन(नों) से यह करवाएँगे कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के विचार और अनुमोदन के लिए, सहमत सेवाओं के आरंभ से कम से कम साठ दिन पूर्व, सेवा के प्रकार और उसकी बारंबारता, प्रयुक्त किए जाने वाले विमान के प्रकार तथा उड़ान अनुसूचियों से संबंधित जानकारी दाखिल करें। सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में जब और जैसे कोई परिवर्तन किए जाने हों, तब उसी प्रकार की जानकारी कम से कम 30 दिन पूर्व भी प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) नामित एयरलाइन ऐसी कोई अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करेगी जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों का यह समाधान करने के लिए अपेक्षित हो कि समझौते की अपेक्षाओं का सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है।
- (3) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित एयरलाइन(नों) से यह करवाएँगे कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से और उसके क्षेत्र को सहमत सेवाओं पर वहन किए गए यातायात से संबंधित मासिक आँकड़े प्रस्तुत करें, जिनमें ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थान दर्शाए गए हों। ऐसे आँकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएँगे।

अनुच्छेद 12

सेवाओं की क्षमता/बारंबारता

- (1) दोनों संविदाकारी पक्षों की एयरलाइनों को अपने-अपने क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करने का उचित और समान अवसर प्राप्त होगा।
- (2) सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन(नें) दूसरे संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन(नों) के हितों को ध्यान में रखेंगी ताकि उन सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े जो बाद वाली उसी मार्ग पर प्रदान करती है/करती हैं।
- (3) नामित एयरलाइनों द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रदान की जाने वाली क्षमता का संविदाकारी पक्षों के क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाली जनता की अनुमानित हवाई परिवहन आवश्यकताओं से घनिष्ठ संबंध होगा।
- (4) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में निहित सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की बारंबारता दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमत की जाएगी।
- (5) किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और/या प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की बारंबारता में कोई भी वृद्धि मुख्यतः संविदाकारी पक्षों के क्षेत्रों के बीच यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं पर आधारित होगी और दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति के अधीन होगी। ऐसी सहमति या समझौते के लंबित रहने तक, पहले से प्रवृत्त क्षमता और बारंबारता संबंधी हकदारियाँ ही प्रभावी रहेंगी।

अनुच्छेद 13

प्रशुल्क

- (1) एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से या उसके क्षेत्र को वहन के लिए लिए जाने वाले प्रशुल्क, परिचालन लागत, युक्तियुक्त लाभ और अन्य एयरलाइनों के प्रशुल्क सहित सभी संगत कारकों पर उचित ध्यान देते हुए, युक्तियुक्त स्तरों पर निर्धारित किए जाएँगे।

- (2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट प्रशुल्क, यदि संभव हो, तो दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित एयरलाइनों के बीच सहमत किए जाएँगे और ऐसी सहमति, जहाँ भी संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त की जाएगी।
- (3) इस प्रकार सहमत प्रशुल्क दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए उनके प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम नब्बे (90) दिन पूर्व प्रस्तुत किए जाएँगे। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकारियों की सहमति के अधीन रहते हुए, इस अवधि को घटाया जा सकता है।
- (4) यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने अननुमोदन व्यक्त नहीं किया है, तो वे प्रशुल्क अनुमोदित माने जाएँगे। पैराग्राफ (3) में उपबंधित प्रस्तुतीकरण की अवधि घटाए जाने की स्थिति में, वैमानिकी प्राधिकारी यह सहमत हो सकते हैं कि जिस अवधि के भीतर कोई अननुमोदन अधिसूचित किया जाना चाहिए वह तीस (30) दिनों से कम होगी।
- (5) यदि पैराग्राफ (2) के अनुसार कोई प्रशुल्क सहमत नहीं हो पाता है, अथवा यदि पैराग्राफ (4) के अनुसार लागू अवधि के दौरान, एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को पैराग्राफ (2) के उपबंधों के अनुसार सहमत किए गए किसी प्रशुल्क के अननुमोदन की सूचना देते हैं, तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से प्रशुल्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे।
- (6) यदि वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किसी प्रशुल्क पर, अथवा पैराग्राफ (5) के अंतर्गत किसी प्रशुल्क की स्थापना पर, सहमत नहीं हो पाते हैं, तो विवाद का निपटारा इस समझौते के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (7) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार स्थापित कोई प्रशुल्क तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि कोई नया प्रशुल्क स्थापित न हो जाए। तथापि, इस पैराग्राफ के आधार पर

कोई प्रशुल्क, उस तिथि के पश्चात् जिस दिन वह अन्यथा समाप्त हो गया होता, बारह (12) माह से अधिक के लिए बढ़ाया नहीं जाएगा।

अनुच्छेद 14

प्रतिनिधित्व

- (1) एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) को, पारस्परिकता के आधार पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में अपेक्षित अपने प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक, प्रचालनात्मक और तकनीकी कर्मचारियों को रखने की अनुमति होगी। ये कर्मचारी, जैसा आवश्यक हो, भारत के नागरिकों और मकाऊ के निवासियों में से चुने जाएँगे।
- (2) ये कर्मचारी संबंधी अपेक्षाएँ, नामित एयरलाइन(नों) के विकल्प पर, उसके अपने कर्मचारियों द्वारा अथवा दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में प्रचालनरत किसी अन्य संगठन, कंपनी या एयरलाइन की सेवाओं का उपयोग करके पूरी की जा सकती हैं, केवल तभी जब वे उस संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में ऐसी सेवाएँ करने के लिए प्राधिकृत हों।
- (3) प्रतिनिधि और कर्मचारी दूसरे संविदाकारी पक्ष की प्रवृत्त विधियों और विनियमों के अधीन होंगे, और ऐसी विधियों और विनियमों के अनुरूप, ऐसा संविदाकारी पक्ष, पारस्परिकता के आधार पर तथा न्यूनतम विलंब के साथ, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को आवश्यक कार्य अनुज्ञापत्र, रोजगार वीजा या अन्य ऐसे ही दस्तावेज़ प्रदान करेगा।
- (4) पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) को अपने क्षेत्र में, सीधे और अपने विवेकानुसार अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से, हवाई परिवहन की बिक्री में संलग्न होने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामित एयरलाइन को ऐसा परिवहन बेचने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा परिवहन स्थानीय मुद्रा में या किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद 15

आय का अंतरण

- (1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(नों) को, पहले संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में अर्जित प्राप्तियों के व्यय से अधिशेष को अपने मुख्यालय को प्रेषित करने का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, ऐसे प्रेषण किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किए जाएँगे, और उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के अधीन तथा उनके अनुसार किए जाएँगे जिसके क्षेत्र में राजस्व अर्जित हुआ हो।
- (2) ऐसे अंतरण मुद्रा भुगतान के लिए आधिकारिक विनिमय दर के आधार पर, अथवा जहाँ कोई आधिकारिक विनिमय दर न हो वहाँ मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी मुद्रा बाजार दरों पर, किए जाएँगे।
- (3) यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतानों के निपटान को शासित करने वाली कोई विशेष व्यवस्थाएँ प्रवृत्त हों, तो ऐसी व्यवस्थाओं के उपबंध इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अंतर्गत निधियों के अंतरण पर लागू किए जाएँगे।

अनुच्छेद 16

उपयोगकर्ता प्रभार

- (1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं के उपयोग के लिए उचित और युक्तियुक्त प्रभार अधिरोपित कर सकता है या अधिरोपित किए जाने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि ये प्रभार, समान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी अन्य एयरलाइनों द्वारा चुकाए गए प्रभारों से अधिक न हों।
- (2) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम प्रभार-निर्धारक संगठनों तथा सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइनों के बीच, जहाँ व्यावहारिक हो वहाँ एयरलाइनों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से, परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। उपयोगकर्ता प्रभारों में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव की उपयोगकर्ताओं को युक्तियुक्त सूचना दी जानी चाहिए ताकि परिवर्तन किए जाने से पहले वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।
- (3) कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने सीमा शुल्क, आप्रवासन, संगरोध और ऐसे ही विनियमों के लागू करने में, दूसरे संविदाकारी पक्ष की समान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी

किसी एयरलाइन की तुलना में, अपनी स्वयं की या किसी अन्य एयरलाइन को वरीयता नहीं देगा।

अनुच्छेद 17

विवादों का निपटारा

यदि इस समझौते की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी उसे आपस में वार्ता द्वारा निपटाने का प्रयास करेंगे, जिसके विफल होने पर विवाद निपटारे के लिए संविदाकारी पक्षों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

परामर्श और संशोधन

- (1) कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस समझौते की व्याख्या, अनुप्रयोग या संशोधन के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श, जो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच या स्वयं संविदाकारी पक्षों के बीच हो सकते हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने की तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होंगे।
- (2) इस समझौते का कोई भी संशोधन तब प्रभावी होगा जब वह पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्ट कर दिया गया हो।
- (3) अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों में संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधे करार द्वारा किए जा सकते हैं और उनकी पुष्टि पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद 19

पंजीकरण

यह समझौता तथा इसके सभी संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 20

समाप्ति

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे को लिखित रूप में इस समझौते को समाप्त करने के अपने आशय की सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना एक साथ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजी जाएगी। यह समझौता उस तिथि से, जिसको दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समाप्ति की सूचना प्राप्त की जाती है, एक वर्ष पश्चात् समाप्त हो जाएगा, जब तक कि संविदाकारी पक्षों के बीच करार द्वारा इस अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की पावती के अभाव में, सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना की प्राप्ति के चौदह (14) दिन पश्चात् प्राप्त हुई मानी जाएगी।

अनुच्छेद 21

शीर्षक

इस समझौते के अनुच्छेदों के शीर्षक केवल सुविधा के संदर्भ के लिए हैं और वे किसी भी प्रकार से अनुच्छेदों की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 22

प्रवर्तन में आना

- (1) यह समझौता संविदाकारी पक्षों की सभी आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात् हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (2) यह समझौता संविदाकारी पक्षों के बीच उन पत्रों के आदान-प्रदान की तिथि को प्रवर्तन में आएगा जिनमें वे एक-दूसरे को पुष्टि करें कि सभी आवश्यक अपेक्षाएँ पूरी कर ली गई हैं।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी पूर्णाधिकारियों ने, जो अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हैं, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता नई दिल्ली में, फरवरी 1998 के 11वें दिन, हिंदी, पुर्तगाली, चीनी और अंग्रेज़ी भाषाओं में प्रत्येक की दो मूल प्रतियों में संपन्न हुआ, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी भी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेज़ी पाठ मान्य होगा।

भारत सरकार की ओर से

मकाऊ सरकार की ओर से

अनुबंध
मार्ग अनुसूची

खंड 1

मकाऊ की नामित एयरलाइनों द्वारा दोनों दिशाओं में प्रचालित किए जाने वाले मार्ग:

प्रस्थान स्थान	मध्यवर्ती स्थान	गंतव्य स्थान	आगे के स्थान
मकाऊ	सहमति के अनुसार	विनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक स्थान	सहमति के अनुसार

खंड 2

भारत की नामित एयरलाइनों द्वारा दोनों दिशाओं में प्रचालित किए जाने वाले मार्ग:

प्रस्थान स्थान	मध्यवर्ती स्थान	गंतव्य स्थान	आगे के स्थान
भारत में स्थान	सहमति के अनुसार	मकाऊ	सहमति के अनुसार

टिप्पणियाँ:

- (1) चीन की मुख्य भूमि, ताइवान और हांगकांग के किसी भी स्थान को न तो मध्यवर्ती स्थानों के रूप में और न ही आगे के स्थानों के रूप में सेवा दी जा सकती है।
- (2) ऊपर खंड 1 और 2 में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी भी मध्यवर्ती और/या आगे के स्थान(नों) को नामित एयरलाइनों द्वारा पाँचवीं स्वतंत्रता के यातायात अधिकारों के बिना सेवा दी जा सकती है।
- (3) इस अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों के कोई भी स्थान, किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी या सभी उड़ानों में छोड़े जा सकते हैं, बशर्ते कि ये उड़ानें उस संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में आरंभ या समाप्त होती हों जो एयरलाइन को नामित कर रहा है।
- (4) पाँचवीं स्वतंत्रता के यातायात अधिकार अलग से सहमत किए जाएँगे।